



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 8 सितम्बर, 2008

भाद्रपद 17, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पर्यावरण अनुभाग

संख्या 3405/55-पर्या-2008-256(पर्या)-2001

लखनऊ, 8 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

प०आ०-657

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1981) की धारा 54 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियमावली, 1983 में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2008 कही जाएगी। प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची एक का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियमावली, 1983 में अनुसूची-एक में,

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये मद के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया मद रख दिया जाएगा, अर्थात:-

अनुसूची-एक
(नियम-4 देखिए)

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
विद्यमान मद		एतद्वारा प्रतिस्थापित मद	
(एक) प्रारम्भिक फीस	रु० क्रमांक	पूँजीगत निवेश	(धनराशि लाख रु० में) आरम्भिक शुल्क नवीनीकरण शुल्क
(क) उद्योग जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक की पूँजी लगी हो।	5000 1	रु० 10,000 करोड़ से अधिक	10 5
(ख) उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये तक की पूँजी लगी हो।	3000 2	रु० 5000 करोड़ से अधिक रु० 10,000 करोड़ तक	5.0 2.5
(ग) उद्योग जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये तक की पूँजी हो।	2000 3	रु० 1000 करोड़ से अधिक रु० 5,000 करोड़ तक	2.5 1.25
(घ) उद्योग जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये तक की पूँजी लगी हो।	1000 4	रु० 500 करोड़ से अधिक रु० 1,000 करोड़ तक	1.5 0.75
(ङ) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये तक की पूँजी हो।	500 5	रु० 100 करोड़ से अधिक रु० 500 करोड़ तक	1.0 0.50
(च) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये तक की पूँजी हो।	50 6	रु० 50 करोड़ से अधिक रु० 100 करोड़ तक	0.75 0.35
(दो) वार्षिक नवीनीकरण फीस:-			
(क) उद्योग जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक की पूँजी लगी हो।	2000 7	रु० 10 करोड़ से अधिक रु० 50 करोड़ तक	0.50 0.25
(ख) उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये तक की पूँजी लगी हो।	1500 8	रु० 1 करोड़ से अधिक रु० 10 करोड़ तक	0.20 0.10
(ग) उद्योग जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये तक की पूँजी लगी हो।	1000 9	रु० 50 लाख से अधिक रु० 1 करोड़ तक	0.030 0.015
(घ) उद्योग जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये तक की पूँजी लगी हो।	500 10	रु० 10 लाख से अधिक रु० 50 लाख तक	0.015 0.0075
(ङ) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये तक की पूँजी लगी हो।	100 11	क रु० 1 लाख से अधिक लाख तक	0.005 0.0025
(च) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये तक की पूँजी लगी हो।	10 ख	रु० 1 लाख तक	0.0005 0.0001

(ख) मद-1 के पश्चात निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात-

1-क स्थापना से पूर्व प्राप्त किये जाने वाले सहमति हेतु आवेदन के साथ देय शुल्क में यह मद लागू होगी जहाँ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन शुल्क जमा नहीं किया गया है।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रमांक	पूँजीगत निवेश	शुल्क
1	रु० 10.000 करोड़ से अधिक	5.00
2	रु० 5000 करोड़ से अधिक रु० 10,000 करोड़ तक	2.50
3	रु० 1000 करोड़ से अधिक रु० 5,000 करोड़ तक	1.25
4	रु० 500 करोड़ से अधिक रु० 1000 करोड़ तक	0.75
5	रु० 100 करोड़ से अधिक रु० 500 करोड़ तक	0.50
6	रु० 50 करोड़ से अधिक रु० 100 करोड़ तक	0.37
7	रु० 10 करोड़ से अधिक रु० 50 करोड़ तक	0.25
8	रु० 1 करोड़ से अधिक रु० 10 करोड़ तक	0.10
9	रु० 50 लाख से अधिक रु० 1 करोड़ तक	0.030
10	रु० 10 लाख से अधिक रु० 50 लाख तक	0.015
11	रु० 10 लाख से कम	0.005

आज्ञा से,

एस० आर० लाखा.,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3405/55-Parya-2008-256(Parya)- 2001, dated September 8, 2008:

No. 3405/55-Parya-2008-256(Parya)- 2001
Dated Lucknow, September 8, 2008

In exercise of the powers under section 54 of the Air (Prevention and Control of pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution Control Board is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983:

**THE UTTAR PRADESH AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION)
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2008**

- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Air (Prevention and Control of Pollution) (Second Amendment) Rules, 2008. Short title and commencement
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
- In the Uttar Pradesh Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983 in schedule-I, Amendment of Schedule-I
 - for article-I set out in column 1 below the article as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

SCHEDULE

1. Initial Fees:	COLUMN 1 Existing Article		COLUMN 2 Article as hereby substituted		
	Rs.	Sl. no.	Capital Investment	(Amount in Lakh Rs.) Initial Fees Annual Renewal	
(a) Industries having an investment of more than Rs. 5 crore	5000	1	More than Rs. 10000 Crores	10	5
(b) Industries having an investment of more than Rs. 1 crore but upto Rs. 5 crore	3000	2	More than Rs. 5000 Crores upto Rs. 10000 Crores	5.0	2.5

COLUMN 1		COLUMN 2			
Existing Article		Article as hereby substituted			
1. Initial Fees:	Rs.	Sl. no.	Capital Investment	(Amount in Lakh Rs.)	
				Initial Fees	Annual Renewal
(c) Industries having an investment of more than Rs. 50 Lakh but upto Rs. 1 crore	2000	3	More than Rs. 1000 Crores upto Rs. 5000 Crores	2.5	1.25
(d) Industries having an investment of more than Rs. 10 Lakhs but upto Rs. 50 Lakhs	1000	4	More than Rs. 500 Crores upto Rs. 1000 Crores	1.5	0.75
(e) Industries having an investment of more than Rs. 1 Lakh but upto Rs. 10 Lakhs	500	5	More than Rs. 100 Crores upto Rs. 500 Crores	1.0	0.50
(f) Industries having an investment upto Rs. 1 Lakh	50	6	More than Rs. 50 Crores upto Rs. 100 Crores	0.75	0.35
(ii) Annual Renewal Fees :					
(a) Industries having an investment of more than Rs. 5 crore	2,000	7	More than Rs. 10 Crores upto Rs. 50 Crores	0.50	0.25
(b) Industries having an investment of more than Rs. 1 crore but upto Rs. 5 crore	1,500	8	More than Rs. 1 Crores upto Rs. 10 Crores	0.20	0.10
(c) Industries having an investment of more than Rs. 50 Lakh but upto Rs. 1 crore	1,000	9	More than Rs. 50 Lakhs upto Rs. 1 Crores	0.030	0.015
(d) Industries having an investment of more than Rs. 10 Lakhs but upto Rs. 50 Lakhs	500	10	More than Rs. 10 Lakh upto Rs. 50 Lakhs	0.015	0.0075
(e) Industries having an investment of more than Rs. 1 Lakh but upto Rs. 10 Lakhs	100	11A	Rs. 1 Lakh upto Rs. 10 Lakh	0.005	0.0025
(f) Industries having an investment upto Rs. 1 Lakh	10	B	Less than Rs. 1 Lakh	0.0005	0.0001

(b) After Article-I the following Article shall be inserted, namely :-

1-A Fees to be paid alongwith application for obtaining prior consent before the establishment this Article shall apply where fees has not been deposited under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(Amount in Lakh Rs.)

Sl. no.	Capital investment	Fees
1	More than Rs. 10,000 Crores	5.00
2	More than Rs. 5000 Crores upto Rs. 10,000 Crores	2.50
3	More than Rs. 1000 Crores upto Rs. 5000 Crores	1.25
4	More than Rs. 500 Crores upto Rs. 1000 Crores	0.75
5	More than Rs. 100 Crores upto Rs. 500 Crores	0.50
6	More than Rs. 50 Crores upto Rs. 100 Crores	0.37
7	More than Rs. 10 Crores upto Rs. 50 Crores	0.25
8	More than Rs. 1 Crores upto Rs. 10 Crores	0.10
9	More than Rs. 50 Lakhs upto Rs. 1 Crores	0.030
10	Rs. 10 Lakhs upto Rs. 50 Lakhs	0.015
11	Less than Rs. 10 Lakhs	0.005

By order,
S.R. LAKHA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 554 राजपत्र (हि०-2008-(1195)-597 (क०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1सा० पर्यावरण-2008-(1196)-1000 प्रतियां (क०/आफसेट)।